रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2578] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2017/भाद्र 15, 1939
No. 2578] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2017/ BHADRA 15, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

का.आ.2939(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित की जाती है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या मंत्रालय के ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य का संरक्षित क्षेत्र उत्तर और मध्य अंदमान जिला के अंतर्गत 5.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिएंट लेदरबैक कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ, हरा समुद्र कछुआ और हॉक्सबिल कछुआ के लिए आवास भूमि में से एक महत्वपूर्ण है; कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य कई जंगली पशुओं और पक्षियों के लिए मुख्य आवास भी है; कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य अंदमान में रंगट से लगभग 22 किलोमीटर (सड़क द्वारा) और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी से मध्य अंदमान द्वीप के पूर्व तट में स्थित है; पूर्ण कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी भाग में समुद्र के साथ कूथबर्ट खाड़ी आरक्षित वन के

दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है, अभयारण्य का आकार छोटा है, वनों के प्रकार को स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया गया है और इस अभयारण्य में होने वाली अधिकांश प्रजातियां समुद्र तट वन, नम पर्णपाती वन और अंदमान अर्ध सदाबहार वनों के प्रकार से संबंधित हैं; वन के प्रकारों का प्रमुख स्थान देखा जाता है, जैसा कि अभयारण्य की पश्चिमी सीमा से समुद्र किनारे (पूर्वी सीमा) की तरफ जाता है-(i) समुद्र तट वनों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व है जैसे *पोंगामीया पिन्नाटा, मनीकारा लिट्टोरालिस, कोलोफाइलम इनोफाइलम* ; आदि, (ii) अंदमान अर्ध सदाबहार वनों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व है जैसे *डिपटेरोकारपस प्रजातियां, आर्टोकारपस चप्पलाशा, टेट्रामेलस नुडिफ़्लोरा* ; आदि और (iii) अंदमान नम पर्णपाती वनों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व है जैसे *पटरोकारपस डाल्बर्गियोइड्स, बॉम्पाक्स इनसिग्निस*, आदि; अभयारण्य के दक्षिणी सीमा पर विद्यमान छोटी नदी में मैनग्रोव प्रजातियां होती है;

और, अभयारण्य से स्तनधारियों की प्रजातियां अभिलिखित है जिसमें अंदमान बनैला सूअर, अंदमान मास्कड पाल्म मुश्कबिलाव, जंगल बिल्ली, चित्तीदार हिरण, मुंजक, चमगादड़ (11 प्रकार के), चूहा, आदि; यद्यपि वास्तव में समुद्री द्वीपों, सरीसृपों, पक्षियों, उभयचरों, मछलियों और अन्य निचले रूपों के भौगोलिक पृथक्करण के कारण बड़े स्तनधारी जीवों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है पौधों और समुद्री जैव विविधता के साथ कीड़े और तितलियों को अभयारण्य में अच्छी तरह से दर्शाया गया है; कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य में सरीसृप जीवजन्तु की लगभग 16 प्रजातियां अभिलिखित है जिसमें साल्ट वाटर मगरमच्छ, लेदरबैक कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ, हरा समुद्र कछुआ, वाटर मॉनीटर छिपकली, छिपकली, किंग कोबरा, अंदमान कोबरा, अंदमान करैत और कई अन्य गैर जहरीले सांप सम्मिलित हैं और समुद्री साँप समुद्र तटों और समीपवर्ती वनस्पति में भी देखे जाते हैं;

और, कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जीवजन्तु प्रचुर है और अभयारण्य से पक्षियों की लगभग 60 प्रजातियां अभिलिखित है जिसमें अंदमान बैंडेड क्रैक, अंदमान काला कठफोड़वा, अंदमान कौवा-तीतर, अंदमान डार्क सेरपेंट गरुड़, अंदमान ईमरैल्ड कबूतर, अंदमान ग्रीन ईमपेरियल कबूतर, अंदमान ग्रेरम्पड स्वीफ्टलेट, अंदमान ग्राउंड थ्रस, अंदमान हिल मैना, अंदमान कोयल, अंदमान रेड-विस्करड बुलबुल, अंदमान व्हाइट ब्रिस्टेड वाटरहेन, अंदमान व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, अंदमान व्हाइट कोल्लरड किगंफिशर, बरमेसे लाल कछुआ-कबूतर, पूर्वी जंगल कौवा, लेसर सैंड प्लोवर, छोटा बगुला, स्माल अंदमान ड्रोंगो, सूटी टेर्न, व्हाइट बेलिड समुद्री गरुड़, व्हाइट बेलिड स्वीफ्टलेट आदि सम्मिलित हैं और यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करता है और विभिन्न प्रकार के जलीय और स्थलीय पक्षियों के लिए एक आहार का मैदान है, और जैव-भौगोलिक दृष्टि से कूथबर्ट खाड़ी समुद्र के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है और वन समृद्ध और विविध वनस्पतियों और जीवजन्तु के समुद्र तट वन का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थलीय, जलीय और पौधों के पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन के अनुकूल है;

और, अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत बेतापुर नाला/छोटी नदी में साल्ट वाटर मगरमच्छ, मछलियों और मोलक्स के लिए महत्वपूर्ण आवास है ;

और, समुद्र तटों पर रेत बार के साथ साथ नदी के किनारे, नदी का ताल संकटापन्न प्रजातियों जैसे साल्ट वाटर मगरमच्छ, कछुआ और वाटर मॉनीटर छिपकली के लिए अच्छा आवास है;

और इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उक्त पारिस्थितिकी जोन में उद्योग या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 12.89 वर्ग किलोमीटर, पूर्व भाग की ओर 0 किलोमीटर से दूर, दक्षिण की ओर 771 मीटर से 1 किलोमीटर से दूर, कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के अंदमान और निकोबर द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित की सीमा से पश्चिम और दक्षिण दिशा पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन संहत क्षेत्र है जिसमें कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, पश्चिम में 771 मीटर से 1 किलोमीटर और उत्तर में 0 से 1 किलोमीटर और पूर्व दिशा की ओर शून्य मीटर तक विस्तृत है; कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं अंदमान और निकोबार द्वीपों के मध्य और उत्तर अंदमान जिला में स्थित है यह उत्तर अक्षांश 12^0 36' 51.298"उ से 12^0 43' 25.349" उ और पूर्व देशांतर 92^0 56' 35.772" पू से 92^0 59' 0" पू के बीच स्थित है और इस अधिसूचना में कूटबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रुप में उपाबद्ध है; पारिस्थितिकी संवेदी के अंतर्गत जोन क्षेत्र 12.89 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है।

(2) इस अधिसूचना में महत्वपूर्ण अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध- IIक** और **उपाबंध- IIख** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) इस अधिसूचना में महत्वपूर्ण अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध- III** के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी सवेदी जोन के अंतर्गत क्षेत्र के स्थान जैसे कि क्षेत्र के दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, पश्चिम में 771 मीटर से 1 किलोमीटर और उत्तर में 0 से 1.00 किलोमीटर और दक्षिण दिशा की ओर 0 मीटर कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से आरक्षित वनों का भाग है।

(5) कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य में सभी क्रियाकलापों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों द्वारा शासित किया गया है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) अंदमान और निकोबार द्वीप समूह की संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए संघ राज्य क्षेत्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी बातों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) मत्स्य पालन;

(xiii) एएलएचडब्ल्यू और अन्य अनुसंधान संस्थान।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्को और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यकंन करेगी। आंचलिक महायोजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीविका सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी ।

(8) सभी प्रकार के जहाजों, नौकाओं दोनों यांत्रिक और नियम अन्य जल शिल्प सहित एक आवास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और विशिष्ट प्रावधान क्षेत्रीय महायोजना में शामिल किए जाएंगे और ऐसे समय तक आंचलिक महायोजना तैयार होगी और अनुमोदित किया जाता है, कि विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटरी समिति नौकाओं, जहाजों आदि सहित यांत्रिक और नियम जल शिल्प के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(9) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मछली पकड़ने का अधिकार अंदमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री मत्स्य पालन विनियम, 2003 में निहित उपबंधों के अनुसार होगा और इसे एक आवास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और विशिष्ट उपबंधों को क्षेत्रीय महायोजना में शामिल किया जाएगा और ऐसे समय तक आंचलिक महायोजना तैयार होगी और अनुमोदित किया जाता है, विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटरी समिति सभी क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र **सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और यथा लागू विनियमों और इस अधिसूचना के उपबंधों जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगें जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास भी है; और

(v) पैरा 4 की सारणी में दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक झरने** – आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना को संघ राज्य क्षेत्र पर्यटन विभाग द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार तक, इसमें जो भी नजदीक हो होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे।

परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टों की स्थापना को पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार का पर्यावरण विभाग या प्रदूषण विभाग या प्रदूषण नियंत्रण समिति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, के उपबंधों के अनुसार विनियमों के कार्यान्वित करेगी ।

(7) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार का पर्यावरण विभाग या पर्यावरण नियंत्रण समिति वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगी।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणियों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(14) **औद्योगिक इकाईयां -** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।

(15) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

16. यदि यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रभावी करने में राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार, अन्य उपाय निर्दिष्ट करेगी।

4. प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलाप - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिगत उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	नई बृहत ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	पहाड़ी ढलानों पर 1 से 10 मीटर से अनधिक पर और किसी नदी के या प्राकृतिक नाले के किनारे से 100 मीटर की दूरी तक भी तब तक कोई संनिर्माण क्रियाकलाप न किया जाए जब तक कि संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अन्यथा अनुमति न दिया जाए।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	नदी जलीय संस्कृति ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

11.	बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक तरीके से यंत्रीकृत नाव से मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो, कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पश्चात या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकटतम हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को संनिर्माण उपविधियों के अनुसार पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योग जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।
14.	प्राकृतिक जल निकायों में बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वृक्षों की कटाई।	(क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित अधिनियमों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
19.	प्रवासी चारवाहे।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विद्यमान स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
22.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांत विनियमित होंगे।
23.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिंद्धातों के अनुसार मापदण्डो को पूरा करने के पश्चात किए जाएगे।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।

28.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, के उपबंधों के अनुसार होगा।
30.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पारिस्थितिकी पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, वायुयान, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	पारम्परिक मत्स्य-पालन।	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्य पालन विनियम, 2003 के अनुसार विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
33.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	निम्नीकृत भूमि/वन/ आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक समिति का गठन करती है, जिसे इस अधिसूचना के उपबंधों को मानीटर करने के लिए आंचलिक स्तर पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति कहा जाएगा, के अधीन:-

2. आंचलिक स्तर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानीटरी समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1	उपायुक्त, उत्तर और मध्य अंदमान	अध्यक्ष;
2	सभापति, जिला परिषद, उत्तर और मध्य अंदमान	सदस्य;
3	प्रभागीय वन अधिकारी, मध्य अंदमान	सदस्य;
4	कार्यपालक अभियंता, मेबंडर	सदस्य;
5	संयुक्त निदेशक, कृषि, उत्तर और मध्य अंदमान	सदस्य;
6	निदेशक, पर्यटन या उसके प्रतिनिधि	सदस्य;
7	निदेशक, मत्स्य पालन या उसके प्रतिनिधि	सदस्य;
8	ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, मेबंडर / निम्बुडेरा	सदस्य;

9	संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य;
10	एक प्रतिष्ठित संस्थान से पर्यावरण या पारिस्थितिकी या वन्य जीवन पर एक विशेषज्ञ	सदस्य;
11	संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
12	प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) मेबंडर	सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन (1) मानीटरी समिति का कार्यकाल राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव जो अंतिम अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रुप विधान के अनुसार 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

[फा.सं. 25/08/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दक्षिण – कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **ए** उत्तर अक्षांश 12⁰37'23.211" और पूर्व देशांतर 92⁰57'26.9" से आंरभ होकर और दक्षिण दिशा की ओर जाकर और बेतापुर नाला को पार करती है और इसके अतिरिक्त बिन्दु ए से 1 किलोमीटर की दूरी पर ग्रिड संदर्भ में बिन्दु डी के उत्तर अक्षांश 12⁰36'50.396" और पूर्व देशांतर 92⁰57'25.331" के उच्च टाइड लाइन के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है। सीमा इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **ई** के उत्तर अक्षांश 12⁰37'3.309" और पूर्व देशांतर 92⁰56'53.585" पहुँचती है।

पश्चिम – बिन्दु **ई** से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा इसके साथ सीधी रेखा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है और ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **एफ** के उत्तर अक्षांश 12⁰37'14.72" पूर्व दिशांतर 92⁰56'47.245" पहुँचकर जो कि ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **बी** के उत्तर अक्षांश 12⁰37'35.385" और पूर्व देशांतर 92⁰57'4.909" कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिम के कोने से 828 मीटर की दूरी पर है। सीमा इसके बाद उसी दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाकर और ग्रिड संदर्भ के बिन्दु **जी** उत्तर अक्षांश 12⁰37'24.115" और पूर्व देशांतर 92⁰56'42.068" पहुंचकर जो कि कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में बिन्दु **बी** से 771 मीटर में जाती है। सीमा इसके अतिरिक्त उसी दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाकर और बिन्दु **बी** से 873 मीटर की दूरी में शिवापुरम ग्राम की उत्तर पश्चिम सीमा के बेतापुरा नाला के निकट स्थित ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **एच** के उत्तर अक्षांश 12⁰37'35.109" और पूर्व देशांतर 92⁰56'35.99" पहुंचती है। सीमा इसके बाद बेतापुरा नाला पार करके पश्चिम दिशा की ओर जाती है और बिन्दु **बी** से 1 किलोमीटर की दूरी पर और बेतापुरा नाला के अन्य भाग में स्थित ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **आई** के उत्तर अक्षांश 12⁰37'34.626" और पूर्व देशांतर 92⁰56'31.886" पहुंचती है। इसके बाद सीमा कूटबर्थ खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और केप स्ट्रैचन के उत्तर पश्चिम में समुद्र के निकट स्थित ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **जे** के उत्तर अक्षांश 12⁰43'28.273" और पूर्व देशांतर 92⁰57'53.276"पहुँचती है।

उत्तर –पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा इसके बाद उच्च टाइड लाइन के साथ मुड़कर और कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा, ग्रिड संदर्भ में बिन्दु **सी** के उत्तर अक्षांश 12⁰42'56.431" और पूर्व देशांतर 92⁰58'40.931" में मिलती है।

पूर्व – बिन्दु **सी** से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा उच्च टाइड लाइन के साथ दक्षिणी दिशा के साथ मुड़कर और कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व कोने में बिन्दु **ए** में मिलती है।

उपाबंध-II-क

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र

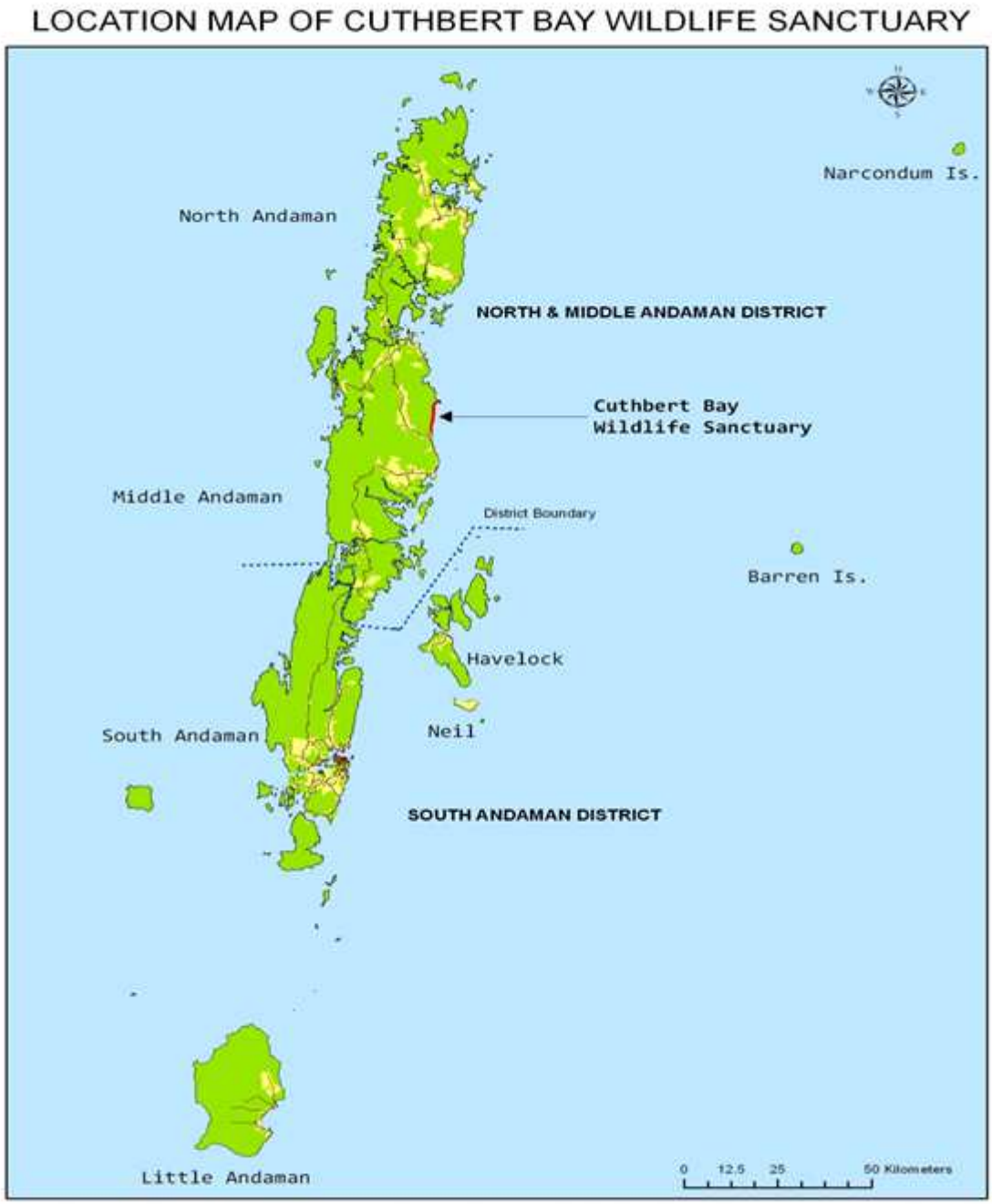

उपाबंध-II-ख

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शित करने वाला मानचित्र

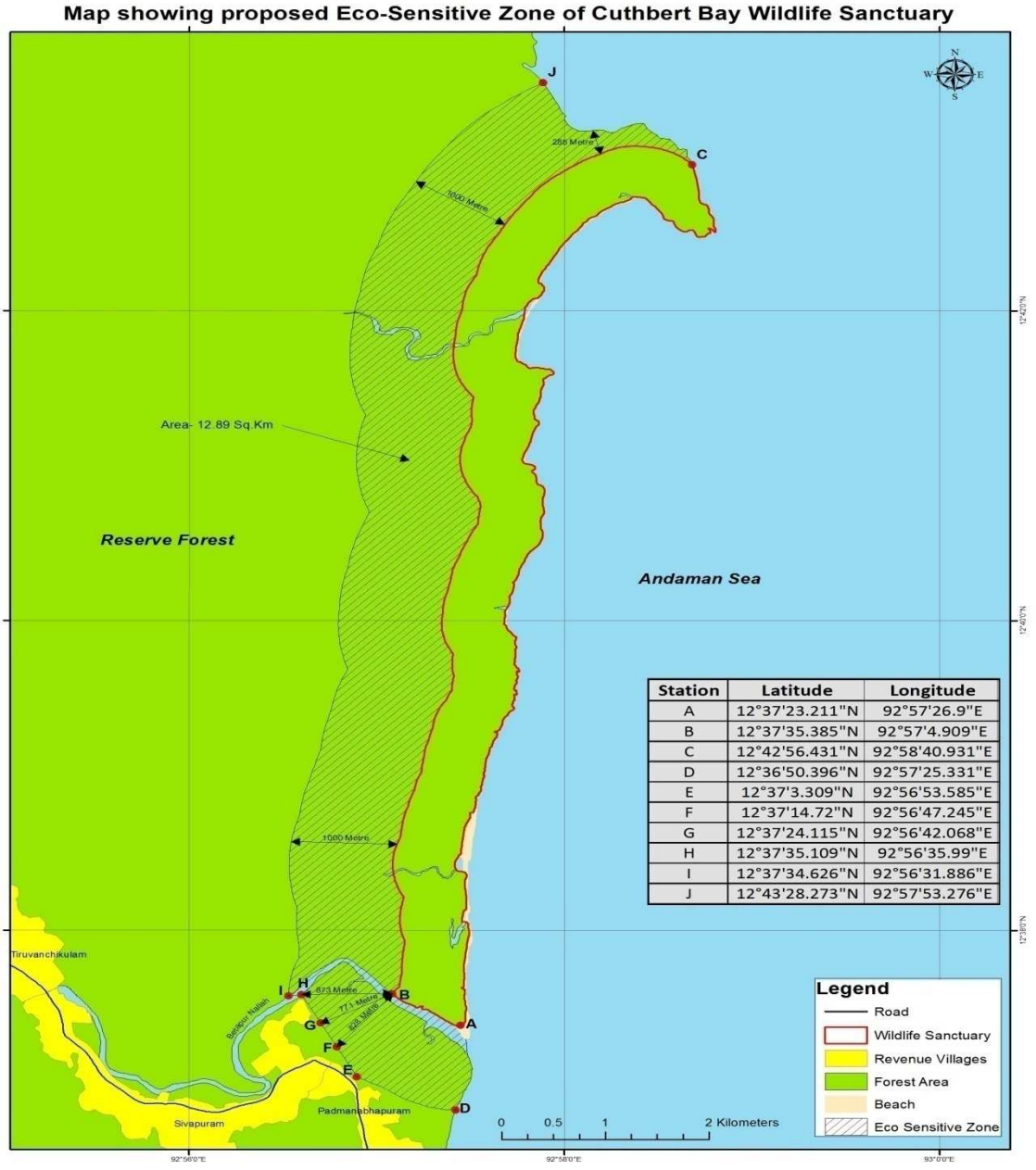

Station	Latitude	Longitude
A	12°37'23.211"N	92°57'26.9"E
B	12°37'35.385"N	92°57'4.909"E
C	12°42'56.431"N	92°58'40.931"E
D	12°36'50.396"N	92°57'25.331"E
E	12°37'3.309"N	92°56'53.585"E
F	12°37'14.72"N	92°56'47.245"E
G	12°37'24.115"N	92°56'42.068"E
H	12°37'35.109"N	92°56'35.99"E
I	12°37'34.626"N	92°56'31.886"E
J	12°43'28.273"N	92°57'53.276"E

उपाबंध -III

कूथबर्ट खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के महत्वपूर्ण स्थानों के भू-निर्देशांक

स्थिति	अक्षांश	देशांतर
ए	12⁰37’23.211”	92⁰57’26.9”
बी	12⁰37’35.385”	92⁰57’4.909”
सी	12⁰42’56.431”	92⁰58’40.931”
डी	12⁰36’50.396”	92⁰ 57’25.331”
ई	12⁰37’3.309”	92⁰ 56’53.585”
एफ	12⁰37’14.72”	92⁰ 56’47.245”
जी	12⁰37’24.115”	92⁰56’42.068”
एच	12⁰37’35.109”	92⁰56’35.99”
आई	12⁰37’34.626”	92⁰56’31.886”
जे	12⁰43’28.273”	92⁰57’53.276”

उपाबंध- IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2017

S.O.2939(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary is a Protected Area having an area of 5.82 square kilometer falling in North and Middle Andaman District and is one of the important nesting ground for the Giant Leatherback turtle, Olive Ridley turtle, Green sea turtle and Hawksbill turtle; the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary is also a prime habitat for many wild animals and birds; the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary is located in the East Coast of Middle Andaman Island lying at a distance of about 22 kilometer (by road) from Rangat in Middle Andaman and about 250 kilometer from Port Blair; the entire Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary falls inside the South Eastern part of the Cuthbert Bay Reserved forest with sea in the Eastern side, the Sanctuary being small in size, doesn't have very distinctly demarcated forest types and most of the species occurring in this Sanctuary belong to Littoral forests, Moist deciduous forests and Andaman semi evergreen forest types; the major zonation of forest types that can be seen, as one moves towards the Western boundary of the Sanctuary from the sea shore (Eastern boundary) are- (i) Littoral forests represented by species like *Pongamia pinnata*, *Manikara littoralis*, *Calophyllum inophyllum* etc., (ii) Andaman Semi Evergreen Forests represented by species like *Depterocarpus species*, *Artocarpus chaplasha*, *Tetrameles nudiflora*, etc. and (iii) Andaman Moist Deciduous Forests represented by species like *Pterocarpus dalbergioides*, *Bombax insignis*, etc; Mangrove species occur in the creek existed on the Southern boundary of the Sanctuary;

AND WHEREAS, species of mammals reported from the Sanctuary includes Andaman Wild pig, Andaman masked palm civet, Jungle cat, Spotted deer, Barking deer, Bats (11 types), Rat, etc; though the large mammalian fauna is not well represented due to geographic isolation of the truly oceanic islands, reptiles, birds, amphibians, fishes and other lower forms viz. insects and butterflies along with plant and marine biodiversity are well represented in the Sanctuary; about 16 species of reptilian fauna are reported from the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary which includes Salt water crocodile, Leatherback turtle, Olive Ridley turtle, Green Sea turtle, Water monitor lizard, Gecko, King Cobra, Andaman Cobra, Andaman Krait and several other non poisonous snakes and Sea Snakes are also seen in the beaches and in the adjoining vegetation;

AND WHEREAS, Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary is very rich in avian fauna and about 60 species of birds have been recorded from the Sanctuary which includes Andaman Banded Crake, Andaman Black Woodpecker, Andaman Crow-Pheasant, Andaman Dark Serpent Eagle, Andaman Emerald Dove, Andaman Green Imperial Pigeon, Andaman Greyrumped Swiftlet, Andaman Ground Thrush, Andaman Hill Myna, Andaman Koel, Andaman Red-Whiskered Bulbul, Andaman White Breasted Waterhen, Andaman White Breasted Kingfisher, Andaman White Collared Kingfisher, Burmese Red Turtle-Dove, Eastern Jungle Crow, Lesser Sand Plover, Little Egret, Small Andaman Drongo, Sooty Tern, White Bellied Sea Eagle, White bellied Swiftlet etc and the area also attracts migratory birds and is a feeding ground for a variety of aquatic and terrestrial birds, and bio-geographically Cuthbert Bay being the transition zone of sea and the forest represents the littoral forest having rich and diverse flora and fauna, well adapt to life in terrestrial, aquatic and arboreal ecosystems;

AND WHEREAS, the Betapur nallah/creek falls in the Eco-Sensitive Zone of the Sanctuary is an important habitat for the Salt water crocodile, fishes and Molluscs;

AND WHEREAS, the sea shore, river beds as well as sand bar on the beaches serves as an excellent habitat for the endangered species like salt water crocodile, turtles and water monitor lizard;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view to maintain the biological diversity at eco system, habitat, species, population and genetic levels and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the Eco-Sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 12.89 square kilometer as Eco-sensitive Zone (ESZ) around the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary, 0 kilometer distance towards East side, 771 meter to 1 kilometer distance towards South, West and North direction from the boundary of the Protected Area of Cuthbert

Bay Wildlife Sanctuary in the Union territory of Andaman and Nicobar Islands as the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

(1) **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1)** The Eco-sensitive Zone is a compact area which extends upto 1 kilometer towards South, 771 meter to 1 kilometer in the West and 0 to 1 kilometer in the North and 'zero' meter towards East direction from the boundary of the Protected Area of the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary; boundaries of Eco-sensitive Zone of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary located in the district of Middle and North Andaman of Andaman and Nicobar Islands is situated between North Latitude 12^0 36' 51.298"N to 12^0 43' 25.349" N and East Longitude 92^0 56' 35.772" E to 92^0 59' 0" E and boundary description of Eco-Sensitive Zone of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary is appended to this notification as **Annexure- I;** the area covered under Eco-sensitive Zone is 12.89 square kilometer.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone together with latitude and longitude of important locations is appended to this notification as **Annexure- II-A and Annexure- II-B.**

(3) The Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude of important locations is appended to this notification as **Annexure- III.**

(4) The status of the area falls within the Eco-sensitive Zone of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary i.e. the area upto 1 km towards South, 771 m to 1 km in the West and 0 to 1.00 km in the North and 'zero' m towards East direction from the boundary of the Protected Area of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary is part of Reserved Forests.

(5) All the activities in the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The Union territory of Andaman and Nicobar Islands Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent Authority in the State Union territory Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by Union territory of Andaman and Nicobar Islands Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory of Andaman and Nicobar Islands for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal ;
(x) Panchayati Raj ;
(xi) Public Works Department;
(xii) Fisheries;
(xiii) ALHW and other Research Institutions.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6)The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) All types of ships, boats both mechanised and manual including other water crafts shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time the Zonal Master Plan is prepared and approved the Monitoring Committee shall monitor the compliance of the mechanised and manual water crafts including boats, ships, etc. as per the laws, rules and regulation in force.

(9) Right of the fishing in Eco-sensitive Zone shall be as per the provisions contained in the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulations, 2003 and shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time the Zonal Master Plan is prepared and approved the Monitoring Committee shall monitor the compliance of all the activities as per the existing laws, rules and regulation in force.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by Union territory Government of Andaman and Nicobar Islands .-** Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the Union territory Government to meet the residential needs of local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in the Table in paragraph 4 :

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the Union territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Union territory Department of Tourism in consultation with Union territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form by component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be permitted within 1 km from the boundary of the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of the said Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation as part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the UT Government or Pollution Control Committee shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the Union territory Government or Pollution Control Committee shall draw up guidlines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. -

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management:-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial units.-** (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted to be established within Eco-sensitive Zone as per Central Control Pollution Board's categorisation.

(15) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

16. The Central Government and the State/UT Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. **Prohibited, regulated and promoted activities.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interin order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable

	electric projects.	laws.
6.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by the concerned Authority shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also up to 100 meters from the banks of any river and natural nallah.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	River aqua culture	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Fishing by mechanised boat in large scale commercial manner.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
14.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
15.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority of the Union territory Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
19.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.

20.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
21.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
22.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Uses of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
28.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
29.	Solid waste management.	Management of solid waste shall be as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 under Environment (Protection) Act, 1986.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
31.	Undertaking activities related to eco-tourism like over-flying the Wildlife Sanctuary Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
32.	Traditional fishing.	Regulated in accordance with the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulations, 2003.
	Promoted Activities	
33.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
39.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Committee for the Union Territory of A& N Islands to be called the Zonal level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this Notification, as under:-

2. The Zonal level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee referred to above **comprising of the following members, namely:-**

1	Deputy Commissioner, North and Middle Andaman	Chairman;
2	Chair-Person, Zilla Parishad, North And Middle Andaman	Member;
3	Divisional Forest Officer, Middle Andaman	Member;
4	Executive Engineer, Maybunder	Member;
5	Joint Director, Agriculture, North And Middle Andaman	Member;
6	Director ,Tourism or his representative	Member;
7	Director ,Fisheries or his representative	Member;
8	Senior Veterinary Officer, Mayabunder/Nimbudera	Member;
9	One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Union territory Government	Member;
10	One expert on environment or ecology or wild life from a reputed Institution	Member;
11	Member of the Union territory Biodiversity Board	Member;
12	Divisional Forest Officer (WL) Mayabunder	Member Secretary.

6. Terms of reference.- (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette .

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from the concerned Departments or associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary, as the case may be, of the Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provision of the final notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma given in **Annexure IV.**

(8) The Ministry of Environment, Forests and Climate Change shall give such directions, as it deems fit from time to time to Monitoring Committee for effective discharge its functions.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

8. The Central Government and Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

[F.No.25/08/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

Boundary description of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone

SOUTH – Eco-sensitive Zone boundary of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary starts from a point **A** at a grid reference of North latitude $12^0$37'23.211" and East longitude $92^0$57'26.9" and proceeds towards South direction and crosses the Betapur nallah and proceeds further towards South direction along the High Tide Line upto point **D** at a grid reference of North latitude $12^0$36'50.396" and East longitude $92^0$57'25.331" at a distance of 1 km from the point **A**. The boundary then moves towards west direction and reaches a point **E** at a grid reference of North latitude $12^0$37'3.309" and East longitude $92^0$56'53.585" maintaining a distance of 1 km from the boundary of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary.

WEST – From the point **E** the ESZ boundary then proceeds towards North West direction in a straight line and reaches a point **F** at a grid reference of North latitude $12^0$37'14.72" and East longitude $92^0$56'47.245" which is at a distance of 828 m from the South West corner of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary point **B** having grid reference of North latitude $12^0$37'35.385" and East longitude $92^0$57'4.909". The boundary then proceeds further towards North West direction in the same bearing and reaches a point **G** at a grid reference of North latitude $12^0$37'24.115" and East longitude $92^0$56'42.068" which is 771 m away from the boundary of the Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary at point **B**. The boundary proceeds further towards North West direction in the same bearing and reaches a point **H** at a grid reference of North latitude $12^0$37'35.109" and East longitude $92^0$56'35.99" located near Betapur nallah on the North Eastern boundary of Sivapuram village at a distance of 873 m from the point **B**. The boundary then crosses the Betapur nallah towards west direction and reaches a point **I** at a grid reference of North latitude $12^0$37'34.626" and East longitude $92^0$56'31.886" located at the other side of the Betapur nallah and at a distance of 1 km from the point **B**. Thereafter the boundary moves towards North direction maintaining a distance of 1 km from the West boundary of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary and a reaches a point **J** at a grid reference of North latitude $12^0$43'28.273" and East longitude $92^0$57'53.276" located close to the sea in the North West of Cape Strachen.

NORTH –The Eco-sensitive Zone boundary then move along the High Tide Line and meets at point **C** at a grid reference of North latitude $12^0$42'56.431" and East longitude $92^0$58'40.931", the Northern boundary of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary.

EAST – From the point **C**, the Eco-sensitive Zone boundary moves towards Southern direction along the High Tide Line and meets at point **A** at the South East corner of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary.

ANNEXURE- II-A

LOCATION MAP OF CUTHBERT BAY WILDLIFE SANCTUARY

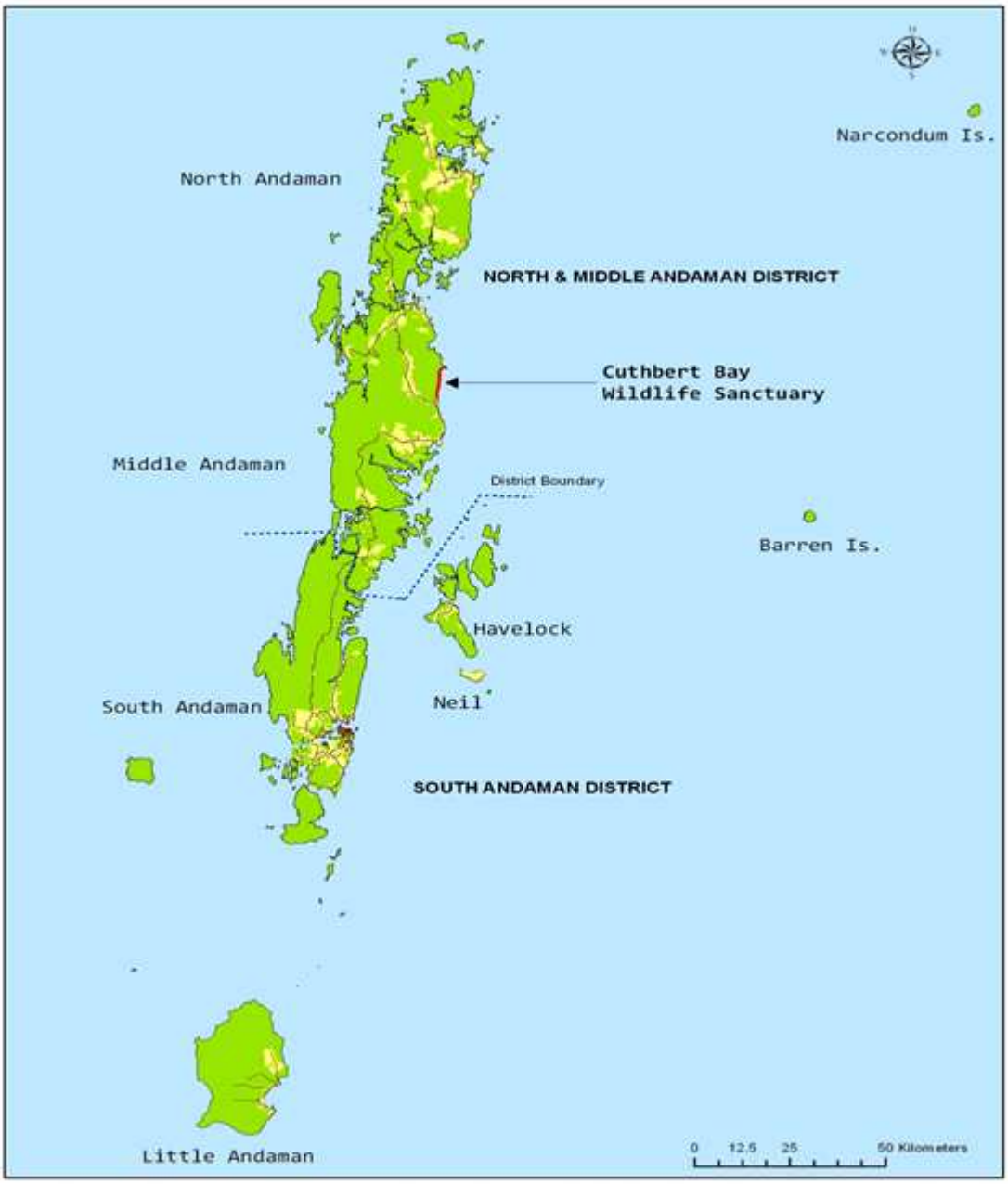

ANNEXURE- II-B

Map showing proposed Eco-Sensitive Zone of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary

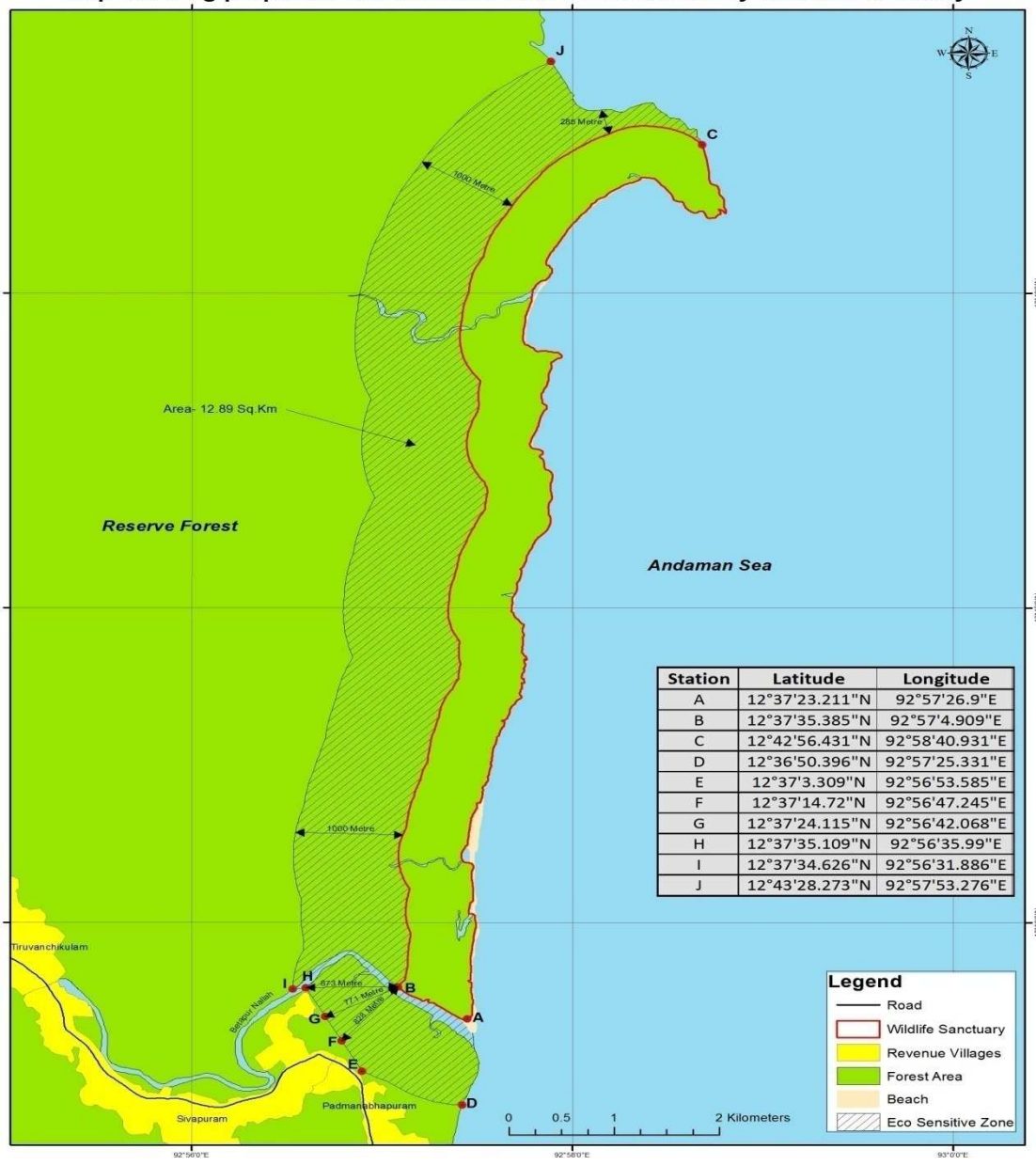

Station	Latitude	Longitude
A	12°37'23.211"N	92°57'26.9"E
B	12°37'35.385"N	92°57'4.909"E
C	12°42'56.431"N	92°58'40.931"E
D	12°36'50.396"N	92°57'25.331"E
E	12°37'3.309"N	92°56'53.585"E
F	12°37'14.72"N	92°56'47.245"E
G	12°37'24.115"N	92°56'42.068"E
H	12°37'35.109"N	92°56'35.99"E
I	12°37'34.626"N	92°56'31.886"E
J	12°43'28.273"N	92°57'53.276"E

ANNEXURE- III

Geo co-ordinates of important locations of Eco-sensitive Zone of Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary

Location	Latitude	Longitude
A	$12^0$37’23.211”	$92^0$57’26.9”
B	$12^0$37’35.385”	$92^0$57’4.909”
C	$12^0$42’56.431”	$92^0$58’40.931”
D	$12^0$36’50.396”	92^0 57’25.331”
E	$12^0$37’3.309”	92^0 56’53.585”
F	$12^0$37’14.72”	92^0 56’47.245”
G	$12^0$37’24.115”	$92^0$56’42.068”
H	$12^0$37’35.109”	$92^0$56’35.99”
I	$12^0$37’34.626”	$92^0$56’31.886”
J	$12^0$43’28.273”	$92^0$57’53.276”

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.07 19:14:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.